Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 16-03-2005

Participants : Virendra Kumar Shri

>

Title: Need to redress the grievances of employees of community polytechnic projects in Madhya Pradesh.

*m01

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा देश के लगभग 600 पॉलिटेकनिक में 1978-79 से संचालित कम्युनिटी पॉलिटेकनिक परियोजना मध्य प्रदेश के सभी पॉलिटेकनिक महाविद्यालयों में सफलतापूर्वक चल रही है। देश के ग्रामीण विकास में अग्रणी इस परियोजना के द्वारा ग्रामीण बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी जीविका यापन करने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसमें कार्यरत कर्मचारियों की मेहनत और लगन के 25 र्वा पूरे हो चुके हैं। लेकिन खेद का विाय है कि इस परियोजना से जुड़े कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। वर्तमान में बहुत ही अल्प वेतन में कार्यरत इस परियोजना के कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन और दाल-रोटी भी इस कमरतोड़ महंगाई में मुश्किल से नसीब हो रही है। इस परियोजना के कर्मचारियों का भविय अंधकारमय है क्योंकि न तो उन्हें केन्द्र सरकार का कर्मचारी समझा जाता है न ही राज्य सरकार का और परियोजना में कार्यरत कर्मचारी, नौकरी की आयु सीमा से अधिक के हो गये हैं तथा उन्हें अन्य विभाग की नियुक्ति में छूट प्रदान नहीं की जाती है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के कर्मियों को कलेक्टर की दर से कम दर पर पारिश्रमिक भुगतान हो रहा है। योजना के कर्मियों के मानदेय में सन् 1985 की गाइडलाइन के पश्चात कोई संशोधन नहीं किया गया है जबकि केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों को सन् 1996 से नया वेतनमान दिया है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के कर्मियों को शासन द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा जैसे कि बीमा, अंतरिम राहत, पीएफ आदि नहीं दी जा रही है। योजना के कर्मचीरी नौकरी की आयु सीमा पार कर चुके हैं तथा उनका भविय अनिश्चित है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि परियोजना के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एवं अन्य विभागों में नौकरी पर जाने हेतु आयु सीमा में छूट बढ़ाने में सहयोग करें।

---

* Not Recorded.